कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3511 /15–1 दिनांक, झांसी, मई, -9- 2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0 झांसी।

विषय :– पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0, झांसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग के संरक्षित वन भूमि एवं आठ (8) वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र सं0–2023/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्स/22022/2016, दिनांक 30.03.2017 एवं आपका कार्यालय पत्र सं0–3494/33–1, दिनांक 31.03.2017। पावर ग्रिड का0 ऑफ इण्डिया लि0 का पत्र संख्या WR-II/TLC/JHS/LILO dt. 08.05.17

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने संदर्भित पत्र से लगाई आपत्तियों में बिन्दु सं0–1 से 10 तक इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव आपके संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्ण कर निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पर्वेक्षण क्र0सं0	प्रश्न/आपत्ति	उत्तर/निराकरण के पश्चात अभिलेख भी संलग्न हैं
1	वन विभाग, उ0प्र0 शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु पूर्ण 18 मानक शर्ते पूर्ण नहीं है, तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 18 मानक शर्तो के मान्य होने का प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्नक है। (पृष्ठ संख्या– 31–32)
2	प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेशण लाईन के नीचे बौने पौधे (मुख्यतः) औषधीये पौधे के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं हैं।	प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यताः औषधीये) का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, (पृष्ठ संख्या–57–69)
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण व्यय वहन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर संलग्न हैं। (पृष्ठ संख्या–40)
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न हैं, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा बिना लीजेन्ड अंकित किये है, अत्यन्त शूक्ष्म संलग्न किया गया है, जो स्वीकार नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:5000 माप का पूर्ण रंगीन मानचित्र संलग्नक किया गया है, तथा लीजेन्ट अंकित कर दिया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। (पृष्ठ संख्या–55)
5	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया जो पूर्व से प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। (पृष्ठ सं0–76)

6	भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0) विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत विवरण संलग्न हैं। (पृष्ठ सं0–56)
7	प्रस्ताव में हार्ड कॉपी भाग–2 में हरियाली घनत्व ऑन लाइन भाग–2 के अनुसार अंकित नहीं हैं।	प्रस्ताव में हार्ड कापी भाग–2 में हरियाली घनत्व लॉन लाईन भाग–2 के अनुसार अंकित कर दिया गया हैं। (पृष्ठ संख्या–23)
8	प्रस्तावित ऑन लाईन भाग–2 में District Profile हार्ड कॉपी भाग–2 के अनुसार नहीं है, डाटा त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।	District Profile में अंकित त्रुटि को ठीक कर दिया गया हैं। (पृष्ठ संख्या–25)
9	प्रस्ताव के हिन्दी वर्जन भाग–1 संलग्न नहीं हैं।	प्रस्ताव में हिन्दी वर्जन भाग–1 संलग्न कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या–4–5)
10	आवश्यकता न होने कारण हार्ड कॉपी के पृष्ठ संख्या–65 को प्रस्ताव से पृथक करें	उक्त को प्रस्ताव से प्रथक कर दिया गया हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार मूल में 03 पत्रावलियां
पूर्ण कर मय् सी0डी0 सहित।

भवदीय

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके कार्यालय पत्र सं0–2023/11सी–एफ0पी0/ट्रान्स/22022/2016, दिनांक 30.03.2017।
2. मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 झांसी।
3. उप वन संरक्षक, सा0वा0 वन प्रभाग, उरई (जालौन)।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी